

न्यायालय जिला कलेक्टर, टोंक

(चिन्मयी गोपाल, आई०ए०एस०द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या
प्रविष्टि दिनांक

74 / 2019
18-9-2019

भेरू पुत्र श्योराम जाति जाट निवासी ग्राम बारेड़ा पंचायत व पटवार हल्का बरसी
तहसील निवाई जिला- टोंक राज०

-अपीलान्ट

बनाम

तहसीलदार निवाई जिला-टोंक

-रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध निर्णय
तहसीलदार निवाई दिनांक 16-8-2019 मिसल नम्बर 609/2019

उपस्थिति : (1) श्री बसन्त कुमार जेन अभिभाषक अपीलान्ट
(2) श्री मजहर आलम, राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेण्ट

निर्णय

दिनांक 20-10-2021

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार निवाई ने अपने निर्णय दिनांक 16-8-2019 के द्वारा अपीलान्ट को राजकीय भूमि किस्म बारानी-3 में खसरा नम्बर 484 रकबा 0.02 बीघा वाके ग्राम बारेड़ा तह० निवाई में डोल लगा कर पश्चातवर्ती अतिक्रमण करने का दोषी मानते हुए भूमि से बेदखल करने 3/रूपये की पेनल्टी कायम कर 90 दिवस के सिविल कारावास की सजा से दण्डित करने का आदेश दिया है। अपीलान्ट ने तहसीलदार निवाई के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं तलबी रेस्पोडेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट एवं राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने दोराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि तहसीलदार निवाई द्वारा निर्णय से पूर्व सुनवाई का अवसर नहीं दिया है ओर नोटिस पर अपीलान्ट की विधिवत् व्यक्तिशः तामिल नहीं कराई गई है। निर्णय एकतरफा में पारित किया गया है। अपीलान्ट का उक्त भूमि पर कभी भी कब्जा नहीं रहा बल्कि अवैधानिक रूप से रिपोर्ट की गई है जो विधि एवं विधान के विपरीत है। अपीलान्ट को गवाह पेश करने का अवसर नहीं दिया तहसीलदार साहब ने दिनांक 13-8-2019 को अपीलान्ट की उपस्थिति जरिए बन्नालाल दर्ज करती थी किन्तु कोई आगामी पेशी सुनवाई हेतु नहीं दी तथा अपीलान्ट के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही कर निर्णय



जिला कलेक्टर
टोंक

दिया जो विधि एवं विधान के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलान्ट को निर्णय के बारे में भी नहीं बताया निर्णय की खबर समाचार पत्र में प्रकाशित होने पर हुई जिसके बाद अपीलान्ट ने तुरन्त दिनांक 11-9-2019 को अविलम्ब नकल की दरखास्त पेश कर नकल प्राप्त की एवं डिले कन्डोन हेतु दफा-5 के प्रार्थना पत्र के साथ अपील प्रस्तुत है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर तहसीलदार निवाई द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16-8-2019 निरस्त फरमाया जावे।


अपीलान्ट के अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को नोटिस जारी किया गया है जिस पर अपीलान्ट की विधिवत रूप से तामिल हुई है। अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ है। अपीलान्ट ने राजकीय भूमि किस्म बारानी-3 में खसरा नम्बर 484 रकबा 0.02 बीघा वाके ग्राम बारेड़ा तह0 निवाई में डोल लगा कर पश्चातवर्ती अतिक्रमण किया है। अपीलान्ट ने इससे पूर्व भी अतिक्रमण किया था जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली सं0 1066/16 से वेदखल किया गया था। अपीलान्ट भूमि पर से अपना कब्जा छोड़ना नहीं चाहता है एवं बार-बार अतिक्रमण करने का आदी है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एवं उचित है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट एवं राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता है कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया गया है। नोटिस पर अपीलान्ट की विधिवत रूप से तामिल हुई है। अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ अपीलान्ट ने राजकीय भूमि किस्म बारानी-3 में खसरा नम्बर 484 रकबा 0.02 बीघा वाके ग्राम बारेड़ा तह0 निवाई में डोल लगा कर पश्चातवर्ती अतिक्रमण करने पर पेनल्टी कायम कर 90 दिवस के सिविल कारावास की सजा से दण्डित करने का आदेश दिया है। अपीलान्ट ने इससे पूर्व भी अतिक्रमण किया था जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली सं0 1066/16 से वेदखल किया गया था जो पटवारी हल्का के बयान व रिपोर्ट से सिद्ध है। अपीलान्ट विवादित भूमि पर से अपना कब्जा छोड़ना नहीं चाहता है एवं बार-बार अतिक्रमण करने का आदी है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

फलतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार निवाई का निर्णय दिनांक 16-8-2019 यथावत रखा जाता है। स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 20-10-2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।




(चिन्मयी गोपाल)
जिला कलेक्टर, टोक
जिला कलेक्टर
टोक